समाहरणालय, मुंगेर।

(खनन कार्यालय)

आदेश

बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के नियम–7 के अन्तर्गत लघु खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति अधोलिखित क्रशर अनुज्ञप्तिधारी को दी गयी थी, किन्तु ससमय रजामंदी राशि जमा नहीं करने के कारण उन्हें स्मार निर्गत किया गया। इसके बावजूद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न तो बकाया राशि जमा किया गया और न ही खनिज भंडारण का कार्य ही बंद किया गया है।

क्रशर अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स महा अनुपम स्टोन वर्क्स की पूर्ण विवरणी निम्न है :–

क्रशरधारी का नाम एवं पता	क्रशर स्थल	उच्चतम रजामंदी की राशि	बन्दोवस्ती का वर्ष	किस्त	किस्त की सं0	देय तिथि	जमा राशि	बकाया	कुल बकाया किस्त	अभियुक्ति	
										e.e. No.	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
मे0 महा अनुपम स्टोन वर्क्स, प्रो0–अनुपम कु0 सिंह, पिता–श्री राम विनोद कुमार, ग्राम–शंभूपट्टी, जिला–समस्तीपुर	ग्राम– हसलगंज, थाना– सफियाबाद, प्लॉट नं0–204, अंचल–जमालपुर	13,06,000	26/2007 from 01-06-07 to 20 years	186571	प्रथम	31.12.07	186571	0	186571	-	186571
					द्वितीय	31.12.08	186571	0			
					तृतीय	31.12.09	186571	0			
					चतुर्थ	31.12.10	186571	0			
					पंचम	31.12.11	0	186571			

उपरोक्त विवरणी के अनुसार बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के अन्तर्गत लघु खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति मे0 अनुपम स्टोन वर्क्स को दी गयी थी। खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा अनुज्ञप्ति की तिथि दिनांक 01.06.07 से आज तक कोई परिवहन चालान नहीं लिया गया है। साथ ही दिनांक 31.12.11 को देय पंचम किस्त भी अभी तक जमा नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हे इस कार्यालय के ज्ञापांक 177, दिनांक 30.03.12 से नोटिस दिया गया है। पुनः पत्रांक 215, दिनांक 10.04.12 से स्मार निर्गत किया गया है। पुनः पत्रांक 328, दिनांक 21.06.12 द्वारा किस्त का स्मार तथा पत्रांक 379, दिनांक 17.07.12 द्वारा मासिक विवरणी हेतु स्मार दिया गया है। किन्तु उनके द्वारा न तो नोटिस का ही कोई जवाब दिया गया है और न ही स्मार पर उपस्थित होकर अथवा किसी अन्य तरीके से कोई जवाब ही दिया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि अनुज्ञप्ति लेने के 05 साल बाद तक भी अब तक उनके द्वारा कोई परिवहन चालान नहीं लिया गया है तथा मासिक विवरणी भी जमा नहीं की गयी है।

पुनः दिनांक 10.10.12 को खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त क्रशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त क्रशर ईकाई में धूलकण रोकने का संयंत्र नहीं लगाया गया और न हीं क्रशर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। सफाई, जल छिड़काव तथा वृक्षारोपण भी नही किया गया है। प्रदुषण का वर्ष 2009 तक का ही कॉन्सेंट दिया गया है। साथ ही फैक्ट्री लाईसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त क्रशर स्थल पर निरीक्षण के दौरान साईनबोर्ड, स्टॉक रजिस्टर तथा परिवहन चालान नहीं पाया गया। साथ ही उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यालय में एक भी मासिक विवरणी समर्पित नहीं किया गया है।

विदित हो कि बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के नियम 7(1)(h) से 7(1)(k) में प्रावधानित है कि :-

<u>**"7. *Storage of major mineral and minor mineral beyond lease hold area-***</u>

(h) *Preference may be given to any person/person in cluster of crushing machines within 8 kms. from the leasehold/mining areas.*

(i) *The period of stone stockist licence for the use of crusher shall not be more than 20 years with following conditions.*

(i) *The auction bid/tender amount shall be deposited in yearly basis in equal installments within seven years. Each equal installment shall be deposited before 31st December.*

(ii) *After payment of installment of auction bid/tender amount or agreed amount up to seven years. renewal of stone stockist licence for the use of crusher shall be made on the deposit of Rs.5000/- every year up to thirteen years.*

(iii) *The State Government shall issue a guideline from time to time in this regard.*

(j) Default in payment of any installment till prescribed date, a 24 percent simple interest shall be charged up to six month and after that action for cancellation of licence shall be taken.

(k) *Every stone stockist licence holder for the use of crusher shall maintain a register in form 'G' of this rule."*

इससे स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी आगे राशि चुकता करने मे अभिरूचि नही रखते है एवं क्रशर संचालन में भी लगातार अनियमितता बरती जा रही है। इस निमित परिलक्षित अनियमितता एवं बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) में उल्लिखित नियमों एवं शर्तो के अक्षरशः अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है एवं खनिज विकास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वसूली हेतु बकाया राशि की गणना कर नीलाम पत्र वाद दायर करें तथा बकाया की पूर्ण वसूली होने तक क्रशर सील करने का आदेश दिया जाता है।

ह0/-

समाहर्त्ता, मुंगेर।

ज्ञापांक 715 /खनन, दिनांक 29.12.12

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुंगेर/खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमालपुर/ अंचल अधिकारी, जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मे0 महा अनुपम स्टोन वर्क्स, प्रो0-अनुपम कुमार सिंह, पिता-राम विनोद कुमार, ग्राम-शम्भू पट्टी, जिला-समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

29/12/12

समाहर्त्ता, मुंगेर।